अपील : सेवानिवृत्ति आयु 62 साल करने को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लिखा पत्र

कॉलेज अध्यापकों की भी आयु सीमा बढ़ाएं

शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान, तकनीक विवि जम्मू की टीचिंग एसोसिएशन के प्रधान विकास शर्मा बैठक को संबोधित करते हुए। जागरण

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू-कश्मीर कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन जम्मू विंग ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पत्र लिखकर कॉलेज अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के बराबर किए जाने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रधान डॉ. संजय वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में सदस्यों ने कहा कि सरकार को यूजीसी के नियम कॉलेजों के अध्यापकों पर भी लागू करने चाहिए।

वर्मा ने कहा कि सरकार ने विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवानिवृत्त आयु सीमा साठ वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। वहीं, कॉलेज अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा को सरकारी कर्मियों के बराबर साठ वर्ष किया गया है। ऐसे में यह कॉलेज अध्यापकों के साथ इंसाफ नहीं है। यूजीसी नियमों के अनुसार उच्च शिक्षा के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के बराबर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कालेजों में कांट्रेक्ट पर काम चल रहा है और लेक्चरारों के रिक्त पड़े पदों को भरा जाना चाहिए। नए कॉलेजों व बनने वाले सामूहिक विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की जरूरत है ऐसे में सरकार को सेवानिवृत्त आयु सीमा को बढ़ाकर विश्वविद्यालयों के बराबर कर देनी चाहिए। बैठक में डॉ. एमएस सैनी, डीएस मन्हास, सुधांशु शर्मा, सतेंद्र कौर, विशाल शर्मा, अनिल गंजु सहित काफी संख्या में शिक्षक मौजूद थे।

यूजीसी के नियमों को लागू करने की मांग

जागरण संवाददाता, जम्मू : शेर-ए-कश्मीर कृषि, विज्ञान और तकनीक विश्वविद्यालय जम्मू की टीचिंग एसोसिएशन ने विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की सेवानिवृत्त आयु सीमा को 62 वर्ष करने के सरकार के फैसला का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यूजीसी के नियमों को पूरी तरह से लागू किया जाए। एसोसिएशन के प्रधान डॉ. विकास शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की सेवानिवृत्त आयु सीमा को साठ वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर सही फैसला किया है, लेकिन यूजीसी के 65 वर्ष आयु करने के नियमों को पूरी तरह से लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों व राज्य के विश्वविद्यालयों के बीच कोई फर्क नहीं होना चाहिए। यूजीसी के नियमों का पालन हर जगह होना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त आयु सीमा 65 वर्ष है। राज्य के विश्वविद्यालयों में यह लागू होनी चाहिए। बैठक में पीके राय, देवेंद्र शर्मा, राजीव भारत, पूनम परिहार, जय कपूर, विनोद गुप्ता, विजय भारती और महिताल जम्वाल शामिल थे।